कार्यालय प्राचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नईटिहरी, टिहरी गढ़वाल।

पत्रांक/2152-2154/कैन्टीन/2023–24 दिनांक 04 दिसम्बर, 2023

प्रेस विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि महाविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2023–24 में कैन्टीन संचालन हेतु दिनांक 09 दिसम्बर, 2023 को अपराहन 1:00 बजे तक सील बन्द कोटेशन आमन्त्रित किये जाते है।

इच्छुक व्यक्ति (कोटेशन दाता)/फर्म कोटेशन प्रपत्र/सामग्री सूची एवं अन्य प्रपत्र दिनांक 09 दिसम्बर, 2023 को अपराहन 3:00 बजे कोटेशन दाता एवं गठित समिति के सम्मुख अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में खोले जायेगे।

04/12/2023

प्राचार्य
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
नई टिहरी, टिहरी गढ़वाल।

पृ०सं०/2152–2154/कैन्टीन/प्रेस विज्ञप्ति/2023–24 तददिनांकित।
प्रतिलिपि–निम्नलिखित सम्मानित समाचार पत्रों के संपादकों को इस अनुरोध के साथ कि उक्त प्रेस विज्ञप्ति को अपने लोकप्रिय दैनिक समाचार पत्र में निःशुल्क छात्रहित में प्रकाशित करने की कृपा करें।

1. प्रधान सम्वादाता, अमर उजाला, टिहरी गढ़वाल।
2. प्रधान सम्वादाता, दैनिक जागरण, टिहरी गढ़वाल।
3. प्रधान सम्वादाता, हिन्दुस्तान दैनिक समाचार, टिहरी गढ़वाल।

प्राचार्य
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
नई टिहरी, टिहरी गढ़वाल।

कार्यालय प्राचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नई टिहरी, टिहरी गढ़वाल।

कोटेशन सूचना दिनांक 04 दिसम्बर, 2023

कोटेशन की शर्तें:–

1. कोटेशन प्रारूप नियमावली सहित महाविद्यालय के कार्यालय से प्रत्येक कार्य दिवस में रू0 100.00 (रू0 एक सौ मात्र) तथा 18 प्रतिशत जी.एस.टी. का भुगतान करने पर प्राप्त किया जा सकता है।
2. महाविद्यालय कैन्टीन संचालन की अनुमति देय तिथि से 11 माह तक ही अनुमन्य होगी तथा नये सत्र पर कैन्टीन संचालन हेतु नई निविदा/कोटेशन आमन्त्रित की जायेगी। **(इस वर्ष 2023 में कैन्टीन संचालन की अनुमति केवल दिनांक 31 मई, 2024 तक ही अनुमन्य रहेगी)**
3. कैन्टीन चलाने हेतु महाविद्यालय द्वारा बर्तन एवं फर्नीचर देय नहीं होगा इसकी व्यवस्था स्वयं कैन्टीन संचालक को करनी होगी तथा बिजली एवं पानी के बिल का भुगतान सब मीटर के अनुसार कैन्टीन संचालक द्वारा देय होगा।
4. कैन्टीन का किराया रू0 800.00 (रू0 आठ सौ मात्र) प्रति माह देय होगा जिसका भुगतान प्रत्येक माह की 10 तारीख तक करना अनिवार्य होगा तथा संचालक द्वारा ठेका स्वीकृत होने पर तीन माह के किराये का अग्रिम भुगतान कैन्टीन आरम्भ करने से पूर्व करना होगा, अग्रिम किराया प्राप्त न होने पर कैन्टीन संचालन हेतु ठेका निरस्त समझा जायेगा।
5. कोटेशन दाताओं को कोटेशन प्रारूप के साथ रू0 5000.00 (रू0 पांच हजार मात्र) (एफ.डी.आर.) की धरोहर राशि प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, नई टिहरी के नाम से मूलरूप में संलग्न कर जमा करनी होगी।
6. न्यूनतम दर वाले कोटेशन दाताओं का कोटेशन स्वीकृत किया जायेगा लेकिन किसी कोटेशन को स्वीकृत करने या न करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा। कोटेशन की दरें समान होने पर जिसकी 50 प्रतिशत से अधिक सामग्री की दरें न्यूनतम होगी उसे कैन्टीन संचालन की अनुमति प्रदान की जायेगी। न्यूनतम दर वाले का कोटेशन को इस शर्त के साथ स्वीकार किया जायेगा कि कोटेशन दाता ने बाजार सामग्री की गुणवत्ता को ध्यान में रख कर कोटेशन प्रारूप में भाव अंकित किये हों।
7. कैन्टीन संचालक को कैन्टीन बन्द करने की सूचना एक माह पूर्व महाविद्यालय कार्यालय को देनी आवश्यक होगी। यदि कैन्टीन संचालक के द्वारा किराया निर्धारित समय पर जमा नहीं किया जाता है तो कैन्टीन संचालक द्वारा जमा करायी गई रू0 5000.00 (रू0 पांच हजार मात्र) की धरोहर राशि (एफ.डी.आर.) महाविद्यालय प्रशासन द्वारा जब्त कर ली जायेगी। किसी भी प्रकार की अन्य अनियमितता पाये जाने पर ठेका निरस्त करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।
8. जिस नाम से कोटेशन फार्म महाविद्यालय कार्यालय से निर्गत किया जायेगा उसी नाम से ही कोटेशन जमा किया जाए भिन्नता की स्थिति में कोटेशन स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।
9. कोटेशनकर्ता को कोटेशन प्रपत्र के साथ निम्नलिखित प्रपत्र संलग्न करने होगें–
   (अ) धरोहर धनराशि रू0 5000.00 (रू0 पांच हजार मात्र) की (एफ.डी.आर.) प्राचार्य, पदनाम से बन्धक होगी।
   (ब) कोटेशन प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति वर्तमान में महाविद्यालय का शिक्षक/कर्मचारी/छात्र/छात्रा नही होना चाहिए। इस संबध में कोटेशनकर्ता को कोटेशन फार्म में उल्लिखित करना होगा।
10. कैन्टीन प्रातः 8:00 बजे से सांय 5:00 बजे तक ही छात्र/छात्राओं एवं महाविद्यालय स्टॉफ के लिए महाविद्यालय कार्य दिवसों में खुली रहेगी।

कोटेशन संचालन की शर्तेः–

1. कैन्टीन में मादक पदार्थो एवं बीडी, सिगरेट, पान एवं गुटखा रखना व बेचना तथा उसका सेवन करना वर्जित है।
2. कैन्टीन में निम्न खाद्य सामग्री (चाय, कॉफी, समोसा, बन्द, पकौडी मठरी, उबला अण्डा, आमलेट, ब्रेड पकौडा, मैगी एवं दाल–चावल) की दरें अलग–अलग कप/प्लेट से अंकित की जाय तथा कैन्टीन की दीवार पर मूल्य सूची भी चस्पा की जाय और कोई भी सामग्री अंकित दरों से अधिक दरों पर न बेची जाय। कैन्टीन संचालन समिति समय–समय पर खाद्य सामग्री की गुणवत्ता एवं स्वच्छता की जॉच करती रहेगी। गुणवत्ता एवं स्वच्छता उचित न पायी जाने पर ठेका निरस्त किया जा सकता है।
3. कैन्टीन में आपत्ति जनक पोस्टर/फोटो, स्लोगन एवं राजनैतिक पार्टियों सम्बन्धित सामाग्री चस्पा करना पूर्णतः वर्जित होगा।
4. कैन्टीन में किसी भी प्रकार के ध्वनि यन्त्रों का प्रयोग पूर्णतः वर्जित होगा।
5. कैन्टीन में छात्रों के मध्य विवाद होने की स्थिति में कैन्टीन संचालक द्वारा इसकी सूचना मुख्य शास्ता एवं महाविद्यालय कार्यालय को तत्काल देनी होगी।
6. कैन्टीन किचन में छात्रों एवं महाविद्यालय स्टॉफ का प्रवेश पूर्णतः वर्जित रहेगा।
7. कैन्टीन एवं उसके आस–पास की स्वच्छता का दायित्व कैन्टीन संचालक का होगा इस कार्य हेतु महाविद्यालय द्वारा स्वच्छक उपलब्ध नहीं करवाया जायेगा।
8. कैन्टीन संचालक को महाविद्यालय द्वारा उपलब्ध भवन में किसी भी प्रकार के अतिरिक्त स्थाई निर्माण की अनुमति नहीं होगी तथा महाविद्यालय द्वारा उपलब्ध भवन के रख–रखाव का दायित्व कैन्टीन संचालक का होगा।
9. कैन्टीन संचालक द्वारा कैन्टीन में नियुक्त किये गये कर्मचारियों का स्थाई पता, दूरभाष/मोबाईल नम्बर तथा आधार कार्ड की स्वप्रमाणित फोटो प्रति महाविद्यालय कार्यालय में आवश्यक रूप से जमा करनी होगी। कैन्टीन कर्मचारियों के मध्य किसी भी विवाद की जिम्मेदारी स्वयं कैन्टीन संचालक की होगी।
10. महाविद्यालय के स्टॉफ एवं छात्रों को तथा महाविद्यालय में आयोजित होने वाले समारोह आदि में आर्डर पर खाद्य सामग्री बाजार मूल्य से 20 प्रतिशत से कम दरों पर उपलब्ध करवानी होगी।

नोट–उपरोक्त शर्ते सत्र 2023–24 हेतु लागू रहेंगी तथा आगामी सत्र हेतु नियम एवं शर्तो में परिवर्तन किया जा सकता है।

प्राचार्य
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
नई टिहरी, टिहरी गढवाल।

पृ०सं० 2136-2151 /कैन्टीन/2023–24 दिनांक 04 दिसम्बर, 2023

प्रतिलिपि–निम्नाकिंत को इस आशय से प्रेषित कि उक्त कोटेशन सूचना को अपने सूचना पट्ट पर चस्पा करवाने का कष्ट करें।

1. उपजिलाधिकारी, नईटिहरी, टिहरी गढवाल।
2. अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद, नईटिहरी, टिहरी गढवाल।
3. अधिशासी अधिकारी, जिला पंचायत, नईटिहरी, टिहरी गढवाल।
4. मुख्य डाकघर, नईटिहरी, टिहरी गढवाल।
5. महाविद्यालय सूचना पट्ट।
6. प्रभारी वेबसाईट को इस आशय के साथ कि उपरोक्त सूचना को अपडेट करना सुनिश्चित करें।

04/12/2023

प्राचार्य
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
नई टिहरी, टिहरी गढवाल।